

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 9(4) राज/वाद/88,पार्ट

जयपुर दिनांक 26-2-19

:: आदेश ::


श्री अजय कपूर, अतिरिक्त महाधिवक्ता, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,

80
(महावीर प्रसाद शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय उपमुख्यमंत्री, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि/समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
6. सचिव, लोकायुक्त, जयपुर।
7. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय/विधि मंत्रालय, नई दिल्ली।
8. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।
10. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
11. समस्त अति0 महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर/नई दिल्ली।
12. राजकीय अधिवक्ता/गवर्नमेंट कौंसिल, जयपुर/जोधपुर।
13. समस्त एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
14. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/विभागाध्यक्ष।
15. रजिस्ट्रार जनरल/रजिस्ट्रार, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
16. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
17. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज0 जयपुर को राजस्थान राज-पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
18. श्री अजय कपूर को प्रेषित कर लेख है कि वे उनकी अभिरक्षा में राजस्थान राज्य के निर्णित एवं लंबित प्रकरणों की समस्त पत्रावलियां मय सूची श्री मनीष सिंघवी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, नई दिल्ली को सुपुर्द करें/सम्भलावें एवं सुपुर्द की गयी पत्रावलियों की सूची की एक प्रति इस कार्यालय को भी सूचनार्थ प्रेषित करें।
19. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
20. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
21. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/लेखा शाखा।
22. प्रोग्रामर, वादकरण।
23. रक्षित पत्रावली।


(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 9(4) राज/वाद/88,पार्ट

जयपुर दिनांक 26-2-19

:: आदेश ::

श्री मनीष मलिक, अतिरिक्त महाधिवक्ता, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय उपमुख्यमंत्री, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि/समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
6. सचिव, लोकायुक्त, जयपुर।
7. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय/विधि मंत्रालय, नई दिल्ली।
8. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।
10. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
11. समस्त अति0 महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर/नई दिल्ली।
12. राजकीय अधिवक्ता/गवर्नमेंट कौंसिल, जयपुर/जोधपुर।
13. समस्त एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
14. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/विभागाध्यक्ष।
15. रजिस्ट्रार जनरल/रजिस्ट्रार, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
16. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
17. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज0 जयपुर को राजस्थान राज-पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
18. श्री मनीष मलिक को प्रेषित कर लेख है कि वे उनकी अभिरक्षा में राजस्थान राज्य के निर्णित एवं लंबित प्रकरणों की समस्त पत्रावलियां मय सूची श्री मनीष सिंघवी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, नई दिल्ली को सुपुर्द करें/सम्भलावें एवं सुपुर्द की गयी पत्रावलियों की सूची की एक प्रति इस कार्यालय को भी सूचनार्थ प्रेषित करें।
19. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
20. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
21. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/लेखा शाखा।
22. प्रोग्रामर, वादकरण।
23. रक्षित पत्रावली।

(चंचल मिश्रा)
26/2
शासन सचिव, विधि